

विशेष सूचना

विश्वविद्यालय के समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है, कि वित्तीय वर्ष 2020-21 से भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण की छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्रों के आधार नम्बर का ऑनलाइन होने के पश्चात ही आनलाइन आवेदन करने हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया है। छात्रों के आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, लिंग व जन्म तिथि का मिलान "भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)" से आनलाइन वेरीफिकेशन के पश्चात सन्धित किए जाने की व्यवस्था की गई है। विवरण निम्नवत् है:-

1. सभी छात्र/छात्राओं के पास आधार नम्बर होना अनिवार्य है, जिन छात्रों का आधार कार्ड नहीं बना है उन्हें प्रत्येक दशा में आधार कार्ड बनवा लेना चाहिए।
2. जिन छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है, तत्कम में आधार कार्ड को अपने मोबाइल नम्बर से लिंक करा लें।
3. हाई स्कूल अंकपत्र/प्रमाण पत्र में अंकित अपने नाम तथा अपने माता/पिता के नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड अपडेट कराना सुनिश्चित करें।
4. हाई स्कूल अंकपत्र/प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को भी आधार कार्ड में अपडेट करा लें।
5. आधार कार्ड में लिंग (जेन्डर) गलत है तो उसको शुद्ध कराना भी अनिवार्य है।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत समाज कल्याण विभाग के पत्र सं० 68/अ०स०क०/द०छा०वृ०/शु०प्रति०/2020-21 दिनांक 20 जून 2020 के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020-21 से लाभार्थी पात्र छात्र/छात्राओं का आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाता विवरण आधार लिंकड (Seeded) होना अनिवार्य है। भविष्य में "आधार बेस पेमेन्ट (D.B.T.)" की स्थिति में ऐसे पात्र छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में धनराशि का अंतरण बाधित होगा।

विगत वर्षों में छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में बैंक खाता संबंधी विवरण में जनघन खातों, एफ०डी० खातों अथवा एन०आर०आई० खातों का अंकन करने के कारण छात्रों के आवेदन को बैंक स्तर पर रिजेक्ट कर दिया गया, जिससे धनराशि के अंतरण में बाधा उत्पन्न हुई। अतः छात्र/छात्राओं का राष्ट्रीयकृत बैंक में सामान्य बचत खाता होना अनिवार्य है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार अपना आधार कार्ड एवं अपना बैंक खाता अपडेट करा लें। सत्र 2020-21 में छात्रों द्वारा भरे गये आधार नम्बर, छात्र का नाम, माता/पिता का नाम व जेन्डर तथा जन्म तिथि का सत्यापन होने के पश्चात आधार नम्बर से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओपीपीओ भेजा जाएगा, उक्त ओपीपीओ को आवेदन पत्र में भरने के पश्चात ही छात्र स्तर से आवेदन पत्र सन्धित किया जा सकेगा।

पृ०सं०/मा०प्रौ०वि०/छात्रवृत्ति/स०/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. वै० सहायक कुलपति को, मा० कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
02. समस्त विभागाध्यक्ष।
03. कुलसचिव।
04. वेबमास्टर को इस आशय से कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

आधिष्ठाता छात्र मामले
दिनांक: 27 जून, 2020

आधिष्ठाता छात्र मामले